

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :— ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2017/

दिनांक :

आदेश

स्व0 श्रीमति मृदला शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर जिनकी जन्म तिथि 22.07.1963 है, की राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 31.05.2017 को मृत्यु हो चुकी है, का नाम दिनांक 31.05.2017 को राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्रीमति मृदला शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, के विरुद्धः—

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

51
(राकेश शर्मा)

अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2017/1533

दिनांक : 10/07/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलाफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
3. स्व0 श्रीमति मृदला शर्मा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के परिवार जन को उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।



अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर